

फर्द अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

12  
89/24 शीमाकण्ड खण्ड (पेशा)

संख्या :  
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

जवाब का इवतार स्वतः पद समस्ता जावेगा। पत्रावली वाहे जवाब प्रकृत हेतु दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

16/6/25

पत्रावली आज दिनांक 16/6/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. जयपुर द्वारा कन्वोलेंस की जाने पूर्वावधार दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

23/6/25

पत्रावली प्रकृत विधीय प्रार्थी को उप. प्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 11, 13, 22, 24 की क्रम से जवाब पेश हुआ। पत्रावली बरत हेतु दिनांक 26/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

26/6/25

पत्रावली प्रकृत, व. न. उप. इन्फ्रमस अधि० उप. इन्फ्रमस की कथत सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अपार्थीगण सहजबालेदार हैं। अपार्थीगण बिना विधि विधान के उक्त आसामी को बुद्धि बुद्धि एवं बेव्यान करने पर आभादा है, यदि अपार्थीगण उक्त कृत्य करने में सफल हो जाते हैं, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की उच्च संभावना है, अतः अपार्थीगण को परमि आस्थादि निषेधाज्ञा से पांवार किया जावे, हमने पत्रावली का अनुरोध किया वाद बखार से सम्बन्धित है, यदि



फर्द अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

~~राजेश~~ विपरीत

केस संख्या : 89/2024 (T.E)

न संख्या  
केस संख्या

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अप्रार्थीगण बिना विधिक लक्षात् के विरिद्ध                      कु. गण को खुद-बुद एवं बेपान कौरे                      तो प्रार्थीगण/वाडीगण के वाइकाओपिल                      समार घेने छी शक्यंग है। अतः वाड                      वाइल्यता को रोकने व उनके संरक्षण                      हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक                      13.11.2024 को कुल वाड के निस्तारण                      तक रुखाई दिया जाता है। उक्त स्थान                      आदेश कृषि कार्य एवं सरकारी                      मोपवाको पर लागू नहीं होगा                      परामर्श के जलकुमादीका                      डा. विल इतर है।</p>

*[Signature]*  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर मु० जयपुर